

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश**

आ0सं0-AT/20/2022-SEC6-HEA-HEALTH..... / पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-77(6), दिनांक-07.02.2022 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ़ एकजामिनेशन्स ऑफ़ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में द मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी, कादिराबाद, दरभंगा-846004 द्वारा प्रस्तावित दरभंगा नर्सिंग स्कूल, शिवधारा, दरभंगा को जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-21565, दिनांक-07.04.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त दरभंगा नर्सिंग स्कूल, शिवधारा, दरभंगा को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ़ एकजामिनेशन्स ऑफ़ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ़ एकजामिनेशन्स ऑफ़ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(डॉ० अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : AT/20/2022-SEC6-HEA-HEALTH.....1083(6)

पटना दिनांक - 12/04/2023

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

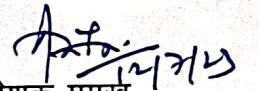
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, द मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाईटी, कादिराबाद, दरभंगा-846004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।